न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवान

श्री बाबूलाल मीणा पिता कानाराम मीणा निवासी छाबडिया (बेरीसाल) पो0 रावतखेडा तहसील जहाजपुर।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा।

प्रकरण संख्या :– **33/2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28–05–2025	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 28.02.2025 में वर्णित सूचना, के संबंध में तहसीलदार भीलवाडा के द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील 16.05.2025 को प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा ने जरिये पत्र कमांक 861 दिनांक 27.05.2025** से अपीलार्थी को पत्र कमांक 59 दिनांक 04.03.2025 द्वारा आवेदन पत्र मूल ही अपीलार्थी को लोटाया जाकर अवगत कराया गया कि तहसीलदार भीलवाडा लोक सूचना अधिकारी नहीं होने से आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 28–05–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (जसमीत सिंह संधू) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	